कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर

कमांक फा 15(32) सविरा/बैंक–2/आ.सो.परि./कमेटी/2015 दिनांक 16.06.2023

आदेश

विभिन्न सहकारी संस्थाओं में सेवानिवृत्त कार्मिकों को व्यक्तिगत अनुबंध तथा सेवाप्रदात्ता एजेंसी के माध्यम से संविदा पर रखे जाने वाले कार्मिकों के संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अतिलंघित करते हुए इनको देय नियत पारिश्रमिक निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है:–

वरिष्ठ अधिकारी संवर्ग	अधिकारी संवर्ग	अधीनस्थ सेवा संवर्ग	मंत्रालय कर्मचारी संवर्ग	सहायक कर्मचारी संवर्ग	वाहन चालक
मुख्य प्रबंधक/ एजीएम/ डीजीएम/ महाप्रबधक एवं अन्य समकक्ष पद	वरिष्ठ प्रबंधक /प्रबंधक/ सहायक अधिशाषी अधिकारी लेखाधिकारी /प्रशा. अधिकारी/ वरिष्ठ लेखाधिकारी/ वरिष्ठ प्रशा. अधिकारी व अन्य समकक्ष पद	कनिष्ठ लेखाकार /लेखाकार / कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / फार्मासिस्ट / शीघ्र लिपिक वर्ग स्टेनो एवं समकक्ष अन्य	कम्प्यूटर ऑपरेटर / बैंकिंग सहायक/ ऋणपर्यवेक्षक/ लिपिक / सैल्समैन /स्टोर कीपर अन्य समकक्ष पद	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/ सुरक्षा गार्ड /हैल्पर अन्य समकक्ष पद	ड्राईवर
40,000	33,750	28,750	22,500	15,000	18,750

1. उक्तानुसार निर्धारित पारिश्रमिक की दरें अधिकतम होगी। यदि विशेष परिस्थितियों में नियोजक संस्था उपरोक्त वर्णित दरों से अधिक भुगतान करना चाहे तो औचित्यपूर्ण प्रस्ताव रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है।
2. श्रम कानून, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम अथवा अन्य प्रवृत्त सक्षम कानूनों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावें।
3. उक्तानुसार कार्मिक/सेवाएं लिये जाने से यदि संस्था को कोई टैक्स/सर्विस चार्जेज/अन्य कोई राजकीय वैधानिक खर्च करना पडता है, तो उसका भुगतान संस्था द्वारा पृथक से किया जायेगा।
4. पारिश्रमिक की उक्त दरें सहकारिता विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में आने वाली सभी सहकारी संस्थाओं पर आदेश जारी होने की दिनांक से लागू होगी।

(मेघराज सिंह रतनू)
रजिस्ट्रार

कमांक फा 15(32) सविरा/बैंक–2/आ.सो.परि./कमेटी/2015 दिनांक 16.06.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम/द्वितीय), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
5. प्रबंध निदेशक, राजफैड, जयपुर।
6. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. जयपुर।
7. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर।
8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर।
9. समस्त फंक्शनल अधिकारी.................................प्रधान कार्यालय, जयपुर।
10. अतिरिक्त/उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां......................खण्ड......................(समस्त)।
11. क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी/विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां..............(समस्त)।
12. प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि...(समस्त)।
13. सचिव, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि...(समस्त)।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागरीक सहकारी बैंक लि......................................(समस्त)।
15. व्यवस्थापक कय विकय सहकारी समितियां...(समस्त)।
16. महाप्रबंधक, उपभोक्ता होलसेल भण्डार...(समस्त)।
17. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने

Signature valid
Digitally signed by Meghraj Singh Ratnoo
Designation : Registrar
Date: 2023.06.16 12:29:39 IST
Reason: Approved

रजिस्ट्रार

268.

RajKaj Ref No. : 4060342